1 जुलाई, 2022

सार्वजनिक सूचना

पैसा लौटाए जाने (रिफंड) हेतु मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने के संबंध में

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति (पीएसीएल के मामले से संबंधित) [इसका उल्लेख यहाँ आगे "**समिति**" के रूप में किया गया है] ने तारीख 27 मार्च, 2022 और 12 अप्रैल, 2022 की सार्वजनिक सूचनाओं (पब्लिक नोटिस) के माध्यम से उन पात्र निवेशकों को अपने पीएसीएल के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने को कहा था जिनके दावे की रकम 10,001/- रुपये से 15,000/- रुपये तक की हो और जिन्हें समिति की ओर से ऐसा संदेश (एसएमएस) प्राप्त होता हो जिसमें उनसे पीएसीएल द्वारा जारी गए प्रमाणपत्र की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने को कहा जाए । प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 जून, 2022 थी ।

समिति ने अब पीएसीएल के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख **31 अगस्त, 2022** तक बढ़ा दी है । जिन निवेशकों को समिति की ओर से प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने हेतु संदेश (एसएमएस) प्राप्त हुआ हो वे कृपया अपने प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ रजिस्ट्रीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा भिजवा दें । इस प्रकार भिजवाए गए प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ **31 अगस्त, 2022** को शाम 5 बजे तक इस पते पर अवश्य पहुँच जाए:

सेबी भवन,
प्लॉट नं. सी4-ए, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051